कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 54/2376/11

जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कंकराड़ी होते हुये किशनपुर मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

Pc. Attested

अगस्त 2011,

जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिक सौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कंकराड़ी होते हुये किशनपुर मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी के अन्तर्गत 1.5 कि0मी0 लम्बाई में मुस्टिक सौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कंकराड़ी होते किशनपुर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि0 29.7.2011 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री डी0एस0 नौटियाल एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री प्रदीप ममगाई के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कंकराड़ी होते हुये किशनपुर मोटर मार्ग का 1.5 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य (प्रथम चरण) स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग के कास सेक्शन 0/31 में स्थित हेयर पिन बैण्ड से आगे आरम्भ होता है तथा ग्राम कंकराड़ी होते हुये निर्धारित लम्बाई में किशनपुर मोटर मार्ग पर मिल कर समाप्त होता है। समरेखन में किसी हेयर पिन बैण्ड का प्रस्ताव नहीं है। कंकराड़ी गांव के पश्चात समरेखन लगभग 100 मी0 लम्बाई में तीव्र पहाड़ी ढलान से गुजरता है। इस भाग में मार्ग निर्माण में सावधानी अपेक्षित होगी। अवगत कराया गया कि समरेखन अलग–अलग भाग में नाप एवं सिविल भूमि से होकर गुजरता है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जावे। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जावें।

(ख) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जावे।

(ग) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जावे जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(घ) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जावे।

(ङ) जहां आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जावे जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(च) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(छ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जावे।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थापित सम्बंधी बिन्दु–

P.C. Accepted

सहायक अभियन्ता

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

(ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. मुरिटकसी०-कुरोली मार्ग से कंकराड़ी होते किशनपुर मोटर मार्ग हेतु 1.5 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी-

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०-30/05 दि० 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar
10.8.11
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

P.C. Attested
अधिशासी अभियन्ता